फा. सं. 22-11/2015-डीपी {एम-02023/2/2016-डेयरी_प्रभाग (ई-2162)}

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 अप्रैल, 2026

विषय:- वर्ष 2026-27 (30 सितंबर 2026 तक) के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना "अवसंरचना विकास निधि (IDF)" के ''डेयरी कार्यकलापों में लगी राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों को सहायता'' घटक का प्रशासनिक अनुमोदन।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 20.04.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(6)/पीएफसी-112026 खंड II, दिनांक 23.03.2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42(02/पीएफ-II/2014 और दिनांक 30.03.2026 के पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी/11/2026-बजट (ई:40715) का संदर्भ देते हुए केंद्रीय क्षेत्र की योजना "अवसंरचना विकास निधि (IDF)" के घटक ''डेयरी कार्यकलापों में लगी राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों को सहायता'' के कार्यान्वयन को वर्ष 2026-27 के दौरान (30 सितंबर 2026 तक) या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 16वें वित्त आयोग (FC) चक्र के लिए योजना की अनुमोदन की तिथि तक, जो भी पहले हो) अस्थायी रूप से विस्तारित करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में सूचित करने का निदेश हुआ है। योजना के संशोधन को अंतिम रूप देने के बाद, संशोधित उद्देश्य और दिशानिर्देश यथाशीघ्र जारी किए जाएंगे।

.2 योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

i. गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना।

ii. डेयरी किसानों को स्थायी बाजार तक पहुंच प्रदान करना।

iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों के बकाये का निरंतर समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।

iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों से फ्लश सीजन के दौरान भी लाभकारी मूल्य पर दूध खरीदने में सक्षम बनाना।

3. योजना के दो घटक हैं नामत: घटक 'क' ' कार्यशील पूंजीगत ऋण'' और घटक 'ख' ''कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन''। घटक 'क' वर्ष 2026-27 के दौरान स्थगित रखा जायेगा। घटक 'ख' वर्ष 2026-27 (30 सितंबर 2026 तक) के दौरान जारी रहेगा। योजना के घटक 'ख' के तहत प्रतिबद्ध देयता को वर्ष 2026-27 के दौरान पूरा किया जायेगा। दोनों घटकों के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आंणद को प्रस्तुत किया जाए।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

4. किसानों को स्थायी बाजार पहुंच प्रदान करने हेतु डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2026-27 (30 सितंबर 2026 तक) के दौरान कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए 46.08 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान SDCFPO के अंतर्गत शीर्षवार बजट आवंटन निम्नानुसार है:

पशुपालन और डेयरी विभाग;

मांग संख्या 44 (योजना)

लाख रुपये में

लेखा शीर्ष	विवरण	जारी किए जाने हेतु निधियां
2404	डेयरी विकास (मुख्य शीर्ष)	
00		
102	डेयरी विकास परियोजनाएं (लघु शीर्ष)	
26	अवसंरचना विकास निधि	
260033	सब्सिडी	4608

6. अस्थायी रूप से विस्तारित योजना के लिए व्यय सीमा BE वर्ष 2026-27 के अनुमोदित QEP -I (23.04%) और QEP-II (23.04%) के भीतर होगी।

7. योजना, सचिव (DADF) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संचालित की जाएगी। उच्च स्तरीय समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-

क. सचिव (DAHD)- अध्यक्ष

ख.AS&FA, DAHD- सदस्य

ग.संयुक्त सचिव/अपर सचिव (डेयरी विकास), DAHD-सदस्य

घ.प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड- सदस्य और संयोजक

8. कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित प्रोफार्मा में तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), वार्षिक रिपोर्ट, लेखा रिपोर्ट आदि के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी। परियोजना के तहत जारी निधियां संबंधित राज्य के AG ऑडिट के अधीन होंगी।

9. इसे डायरी सं. ई-2162/नोट 882 दिनांक 21.04.2026 के द्वारा अपर सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

(संजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

वितरण :

1. प्रधान लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली110001-

2. मुख्य लेखा नियंत्रक, पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. महालेखाकार, कॉमर्स वर्क्स और विविध AGCR बिल्डिंग, नई दिल्ली 110002-
4. सलाहकार (PAMD), नीति आयोग, कृषि विभाग, योजना भवन, नई दिल्ली
5. प्रधान सचिव/सचिव, पशुपालन /डेयरी विकास विभाग, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
6. अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात
7. प्रबंध निदेशक दुग्ध परिसंघ/संघ, सभी राज्य

सूचनार्थ प्रेषित:

सचिव (AHD) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, AS&FA के प्रधान निजी सचिव,अपर सचिव (C&DD) के प्रधान निजी सचिव/उपायुक्त (DD)/ सहायक आयुक्त (DD)/अवर सचिव (बजट)/गार्ड फाईल

संकुमार
24.04.26

(संजय कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

<u>घटक क : "कार्यशील पूंजीगत ऋण"</u>
के लिये
परिचालन दिशानिर्देश

i- उच्चाधिकार प्राप्त समिति योजना के तहत संवितरण पर निर्णय करेगी।

ii- डेयरी **कार्यकलापों** में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों को एक स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करने में सक्षम करने के लिए एनडीडीबी के पास उपलब्ध **निधियों** का उपयोग कार्यशील पूंजी **हेतु सुलभ** ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

iii- **पात्र संगठन:** डेयरी **कार्यकलापों** में लगी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)।

iv- **पात्रता मानदंड:** डेयरी **कार्यकलापों** में लगी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे **कॉर्पस फंड** से नौ महीने के भीतर चुकाए जाने वाले कार्यशील **पूंजीगत** ऋण के लिए पात्र **होंगे**–

क. एनडीडीबी और/या एनसीडीसी को दीर्घकालिक ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण चुकाने में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

ख. पिछले वित्तीय वर्ष तक के पिछले खाते, ऋण आवेदन के साथ संलग्न होने चाहिए।

ग. ऋणदाताओं के प्रति कुल देयता को कवर करने के लिए परिचालनों का ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.25 गुना होना चाहिए।

घ. डेयरी **कार्यकलापों** में लगी सहकारी समितियों और एफपीओ को लगातार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के परिचालन **में** लाभ, **होना चाहिए** परिचालन लाभ की गणना के लिए 'अन्य आय और अनुदान' पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ड. वर्तमान अनुपात न्यूनतम 1.00 होना चाहिए। 'गैर–वसूली योग्य देनदार' को देनदारों से बाहर रखा जाएगा और 'अल्पकालिक ऋण और देय ब्याज' को चालू अनुपात की गणना में वर्तमान देनदारियों में शामिल किया जाएगा।

च. डेयरी **कार्यकलापों** में लगी केवल वे सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन पात्र होंगे, जिन्हें दूध खरीद के लिए राज्य सरकार से सब्सिडी का कोई तत्व प्राप्त नहीं हुआ है। वे राज्य जहां दूध खरीद के लिए या तो राज्य संघों को या सीधे किसानों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, वे इस योजना के तहत सुलभ शर्तों पर कार्यशील **पूंजीगत** ऋण प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

नोट:

क. पात्र उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में एनडीडीबी को प्रस्तुत करना होगा।

ख. आवश्यक विवरण में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए दूध की खरीद, तरल दूध की बिक्री और विभिन्न उत्पादों में निपटाए गए दूध के महीने–वार विवरण और कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण और चुकौती वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह सहित महीने–वार अनुमानित विवरण शामिल होंगे।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

ग. उधारकर्ता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते भी जमा करने होंगे।

v- क) कार्यशील पूंजी की अधिकतम पात्रता की गणना: कार्यशील पूंजी की अधिकतम पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा।

i- दूध की अधिकता वाले (फलश(महीनों के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता [(एमपीपीडी–एलएमपीडी) X एमपीपी X 120]: एमपीपीडी = प्रति दिन दूध की खरीद किलो में, एलएमपीडी = प्रति दिन तरल दूध की बिक्री किलो में एमपीपी = डीसीएस द्वारा खरीदे गए प्रति किलोग्राम दूध का मूल्य (120 दिन फ्लश अवधि)

ii- दूध की कमी वाले दूध खरीद महीनों की अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित के बराबर है:
कम खरीद महीनों के दौरान अपेक्षित पाउडर और सफेद मक्खन की लागत (खरीद मूल्य का 80%)

iii- शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता:
(i) और/या (ii) के अनुसार निर्धारित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
घटाएं: शेयर पूंजी/सावधि जमा/बैंक खातों आदि में निवेशित मुक्त भंडार (फ्री रिजर्व)।

ख) कॉर्पस फंड का रखरखाव, अनुरक्षण और संवितरण: एनडीडीबी के तहत एक अलग नामित बैंक खाते के माध्यम से एक कॉर्पस फंड बनाने का प्रस्ताव है, जिसे एनडीडीबी अधिनियम के अनुसार एनडीडीबी के आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा, डीएडीएफ, जब भी आवश्यक समझे, भारत के सीएजी द्वारा कार्पस फंड के खातों की लेखापरीक्षा करवा सकता है।

सचिव (DADF) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति कार्यशील पूंजी निधि के राज्यवार आवंटन दर्शाएगी।

ग) निधि संवितरण: निधि संवितरण का निर्णय एचपीसी (HPC) द्वारा किया जाएगा। उधारकर्ता द्वारा सुरक्षा कवरेज से संबंधित दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं के निष्पादन को पूरा करने के बाद निधि की निकासी शुरू होगी। संस्वीकृत ऋण की निकासी की अनुमति उधारकर्ता की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 4 किस्तों में दी जाएगी।
एनडीडीबी अनुमानित नकदी प्रवाह का पता लगाएगा और ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) निर्धारित करने के लिए वित्तीय मूल्यांकन करेगा।
एनडीडीबी एक संस्वीकृति पत्र के माध्यम से उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी अनुमोदन से अवगत कराएगा।

घ) सुरक्षा और दस्तावेज़ीकरण:

i- बोर्ड रिज़ॉल्यूशन
ii- कार्यशील **पूंजीगत** ऋण **अनुबंध**
iii. डिमांड प्रॉमिसरी नोट
iv- निरंतरता पत्र (लेटर ऑफ कंटिन्यूटी)
v- दृष्टिबंधक पत्र (लेटर ऑफ हाइपोथीकेशन)(स्टॉक पर प्रथम प्रभार के लिए)
vi- मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

vii- ऑपरेटिंग बैंक खाते पर एस्क्रो व्यवस्था जहां डिफ़ॉल्ट के मामले में चुकौती सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता की सभी बिक्री आय जमा की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीडीसी प्रस्तुत करने पर भुगतान मिलता है, उधारकर्ता से इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि (i) उधारकर्ता एनडीडीबी से किसी भी कारण का हवाला देते हुए पीडीसी की प्रस्तुति को रोकने का अनुरोध नहीं करेगा और (ii) उधारकर्ता पीडीसी की देय तारीख पर पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करेगा और (iii) किसी भी चेक के अनादरित होने की स्थिति में, उधारकर्ता एनडीडीबी से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई करने से परहेज करने का अनुरोध नहीं करेगा।

ड.) **ब्याज दर:** प्रस्तावित ब्याज दर 5% प्रति वर्ष (**फ्लोटिंग** दर) का साधारण ब्याज है, जिसकी गणना ऋण के वितरण की तारीख से मासिक अंतराल आधार पर की जाएगी।

अदायगी में चूक के मामले में ब्याज की दंडात्मक दर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर सामान्य ब्याज के ऊपर और अतिरिक्त 2.00% प्रति वर्ष की दर पर होगा या सचिव (DADF) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली किसी ऐसी दर के अनुसार होगा।

च) अदायगी अवधि: ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान प्रत्येक किस्त जारी होने की तारीख से अधिकतम नौ महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

छ) अन्य निबंधन और शर्तें:

सब्सिडी प्राप्त करने वाले पात्र संगठन एनडीडीबी को निम्नलिखित के बारे में निर्धारित प्रारूप में सूचित करते रहेंगे:

क) मासिक **लेखा परीक्षित निधि उपयोगिता विवरण**।

ख) मासिक स्टॉक स्टेटमेंट। एनडीडीबी, एनडीडीबी से कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करके उधारकर्ता द्वारा खरीदी/परिवर्तित वस्तुओं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेगा। निधि का उपयोग, खरीदी गई वस्तुओं की स्टॉक स्थिति और नकदी प्रवाह का एनडीडीबी द्वारा मासिक मूल्यांकन/समीक्षा की जाएगी और पहली के बाद अन्य किश्तों का केवल यह सुनिश्चित करने के बाद कि उधारकर्ता ने योजना के अनुसार पिछली राशि का उपयोग किया है और स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के बाद **ही** जारी **की** जाएगी।

ग) एनडीडीबी द्वारा कॉर्पस पर या कार्यशील पूंजी ऋण से अर्जित ब्याज या लाभ को कॉर्पस में वापस रख दिया जाएगा। एनडीडीबी आवधिक आधार पर इस निधि के खाते का विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।

****

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

घटक ख : "कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन"
के लिये
परिचालन दिशानिर्देश

1. **प्रस्तावना:**

"कार्यशील **पूंजीगत** ऋण पर ब्याज सबवेंशन" को भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए **कोविड**-19 के कारण आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों संस्थानों को समर्थन देने के लिए 203 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। यह घटक **अवसंरचना विकास निधि (IDF) के तहत वर्ष 2026-27 (30 सितंबर 2026** तक या 16वें वित्त आयोग (FC) **चक्र के लिए योजना की अनुमोदन की तिथि तक, जो भी पहले हो)** के दौरान जारी रहेगा। इसे एनडीडीबी के माध्यम से भारत सरकार **के** पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इस प्रावधान के तहत **जमानती/ गैर-जमानती** कार्यशील पूंजीगत ऋण पर प्रतिवर्ष 2% ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा। यह इस शर्त के अधीन है कि इस तरह के ऋण, योजना के अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और डिफ़ॉल्ट का कोई भी जोखिम **निधियन** संस्थानों के पास है। शीघ्र और समय पर अदायगी के लिए ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% ब्याज सबवेंशन देय होगा।

पात्र संस्थाएं:

प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दुग्ध परिसंघों, दुग्ध संघों, किसान स्वामित्व वाली/दुग्ध उत्पादक कंपनियों जैसे उत्पादकों के स्वामित्व वाले संस्थानों पर विचार किया जाएगा। उन्हें भाग लेने वाली एजेंसियां (PA) कहा जाएगा।

2. **योजना का उद्देश्य:**

योजना के निम्नलिखित लाभ होंगे:

क) यह दूध उत्पादकों को स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।
ख) उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को दुग्ध उत्पादकों को दूध के बिल का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।
ग) **फ्लश** सीजन के दौरान भी डेयरी से किसानों की आय में सुधार और डेयरी व्यवसाय को दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यवहार्य बनाना।
घ) यह उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति करने में मदद करेगा।
ङ) यह संरक्षित डेयरी वस्तुओं के घरेलू बाजार मूल्य को स्थिर करने में मदद करेगा।
च) यह अधिशेष तरल दूध को उच्च शेल्फ लाइफ वाली संरक्षित वस्तुओं में परिवर्तित करने में मदद करेगा।
छ) यह कमी की अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करेगा, जिससे दूध और दूध उत्पादों की घरेलू कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

3. भागीदारी एजेंसियों (PA)के लिए पात्रता मानदंडः

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली भाग लेने वाली एजेंसियां योजना के तहत ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी:

क) लाभार्थी (अर्थात पीए) के पास योजना की परिचालन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों (इसके बाद एफआई–वित्तीय संस्थान के रूप में संदर्भित है) से संस्वीकृत ऋण/ कार्यशील पूंजी उधार (नकद ऋण सुविधा सहित) संबंधी सुविधा होनी चाहिए।

ख) भाग लेने वाली एजेंसी को, एफआई को ऋण और ब्याज की अदायगी में नियमित होना चाहिए और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहले ऋण की किश्त चुकानी होगी।

ग) चालू वित्तीय् वर्ष (1 अप्रैल 2026 और **30 सितंबर 2026 अथवा सक्षम प्राधिकारी दवारा 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए योजना के अनुमोदन की तिथि तक, जो भी पहले हो**) के दौरान बकाया कार्यशील **पूंजीगत** ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।

घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा हर महीने एफआई के साथ भागीदार एजेंसी के बैंक खाते में दावे का सत्यापन करने के बाद बैक एंडेड आधार पर ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।

ङ) भाग लेने वाली एजेंसी को नियमित आधार पर किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना चाहिए और इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।

च) भाग लेने वाली एजेंसी को संरक्षित वस्तुओं के ओपनिंग, एडीशन्, रिडक्शन और समापन शेष संबंधी दिन–वार विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट तथा एनडीडीबी द्वारा अपेक्षित ऐसी दूध प्रसंस्करण/ संचालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए।

4. **हितधारकों की भूमिका**

डीएएचडी, एडीडीबी, वित्तीय संस्थान (एफआई), और प्रतिभागी एजेंसियां (पीए) परियोजना के प्रमुख हितधारक होंगे और इन प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ नीचे दी गई हैं:

हितधारक	**भूमिकाएं**
डीएएचडी भारत सरकार/ एससी	• योजना का अनुमोदन,योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना और जारी करना। • कार्यशील पूंजी**गत** ऋण पर ब्याज सबवेंशन हेतु अनुदान सहायता के लिए बजट सहायता। • संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पात्र प्रतिभागी एजेंसियों को आगे जारी करने के लिए एनडीडीबी को निधि जारी करना। • एचपीसी का कार्य: क) जब भी जरूरत हो, योजना के दिशा–निर्देशों में बदलाव को मंजूरी **देना।** ख) वित्त पोषण के मानदंडों को मंजूरी
एडीडीबी कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	• पीए द्वारा प्रस्तुत ब्याज सबवेंशन की मांग करने वाले परियोजना प्रस्तावों की पहचान और स्क्रीनिंग। • योजना के कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाना। • वित्तीय संस्था (एफआई) को कार्यशील पूंजी**गत** ऋण अदायगी अनुसूची के अनुरूप चरणों में सब्सिडी (ब्याज सबवेंशन) सहायता जारी करना। • **निधि उपयोगिता रिपोर्ट** (एफयूआर) जमा करना।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली,/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

बैंक / कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण संस्थान (एफआई) (आरबीआई अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक / वित्तीय संस्थान)	• ब्याज सबवेंशन सहायता के लिए एनडीडीबी से प्राप्त पीए के प्रस्तावों का सत्यापन करना। • ऋण अदायगी अनुसूची के अनुपालन में पीए के संबंधित कार्यशील ऋण खातों में ब्याज सबवेंशन जारी करना सुनिश्चित करना। • परिचालनात्मक दिशा–निर्देशों के अनुसार एनडीडीबी को आवधिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। • कार्यशील पूंजीगत ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाले पीए के गैर–अनुपालन मामलों की रिपोर्ट करना।
भाग लेने वाली एजेंसियां (राज्य डेयरी परिसंघ / दुग्ध संघ / दुग्ध उत्पादक कंपनियां / बहु–राज्य सहकारी समिति)	• योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एनडीडीबी को आवेदन जमा करना। • योजना के तहत ब्याज सबवेंशन सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना। • डीएएचडी / एनडीडीबी / एफआई द्वारा जब भी जो भी जानकारी मांगी जाए उसे साझा करना।

5. शामिल उत्पाद

योजना के तहत चार संरक्षित वस्तुएं एसएमपी, सफेद मक्खन, डब्ल्यूएमपी, घी शामिल हैं।

6. आवेदन, मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया

6.1 आवेदन की प्राप्ति

- पात्र प्रतिभागी एजेंसी (पीए) वित्तीय संस्था द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के लिए एनडीडीबी को निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध 1 के रूप में संलग्न)** में आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- कार्यशील पूंजीगत ऋण के वास्तविक संवितरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा किए जाने चाहिए और इसमें वित्तीय संस्थाओं से कार्यशील पूंजी ऋण / नकद ऋण के लिए बैंक / वित्तीय संस्था के संस्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र की प्रति शामिल होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज एनडीडीबी को जमा करने होंगे।
    - ➢ नियम और शर्तों के साथ कार्यशील पूंजीगत ऋण का संस्वीकृति पत्र, संवितरण पत्र और ऋण **अनुबंध** की प्रति।

6.2 आवेदन के मूल्यांकन की प्रकिया

• एनडीडीबी परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर पीए द्वारा जमा किए गए आवेदनों की जांच करेगा।

• योजना के तहत प्रक्रिया के लिए केवल पात्र पीए जिनके पास जमानती / गैर-जमानती कार्यशील पूंजीगत ऋण संस्वीकृत है, पर विचार किया जाएगा।

• **पात्र ब्याज सबवेंशन राशि**: ब्याज सबवेंशन, वर्ष में अधिकतम 12 महीनों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया जाएगा। दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क जैसे पूर्व भुगतान या प्रतिबद्धता शुल्क, कर या लेवी, यदि कोई हो, जो बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा लगाया जाता है, पर पात्र ब्याज सबवेंशन राशि की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

• शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% ब्याज सबवेंशन देय होगा।

• कार्यशील पूंजीगत ऋण खाता जहां ऋण की अवधि के दौरान देय तिथि के 30 दिनों के भीतर सभी ब्याज भुगतान और/या मूलधन की किश्तों का भुगतान (केवल ग्राहक प्रेरित भुगतान के माध्यम से) किया गया था, उसे तत्काल भुगतान वाले खाते के रूप में माना जाएगा।

• अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन बैंक से प्रमाण पत्र के आधार पर तुरंत कार्य किया जा सकती है कि पीए द्वारा ऋण की अवधि के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जो भी पहले हो, ऋण तुरंत चुकाया गया/भुगतान किया गया है।

6.3 अनुमोदन की प्रक्रिया

- एनडीडीबी पीए से प्राप्त ब्याज सबवेंशन प्रस्तावों पर महीने में एक बार कार्रवाई करेगा।
- एनडीडीबी प्रत्येक प्रस्ताव की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
- एनडीडीबी एफआई और पीए को स्वीकृत दर पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बारे में सूचित करेगा।

7. निधि प्रवाह

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, एनडीडीबी को **निधियां** जारी करेगा। बदले में, एनडीडीबी भाग लेने वाली एजेंसी के संबंधित कार्यशील पूंजी खाते में पात्र ब्याज सबवेंशन राशि जारी करने के लिए एफआई को फंड ट्रांसफर करेगा।

8. पीए को ब्याज सबवेंशन जारी करना

- पीए को एनडीडीबी को निर्धारित प्रारूप में **(अनुबंध 2 के अनुसार)** ब्याज सबवेंशन जारी करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- वित्तीय संस्था द्वारा बकाया ऋण का मिलान भाग लेने वाली एजेंसी के पास उपलब्ध संरक्षित वस्तुओं के स्टॉक के साथ किया जाएगा।
- एनडीडीबी, पीए के कार्यशील पूंजीगत ऋण खाते में पीए द्वारा ऋण की अदायगी और ब्याज सर्विसिंग का आकलन करने के बाद हर महीने बैक एंडेड आधार पर एफआई को पात्र ब्याज सबवेंशन राशि ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए यह संरक्षित वस्तुओं का ब्याज प्रमाण पत्र, प्रासंगिक बैंक विवरण और स्टॉक विवरण मांग सकता है।

9. परियोजना निगरानी और समन्वय:

- भाग लेने वाली एजेंसियां निगरानी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप **(अनुबंध 2 के अनुसार)** के अनुसार आईए को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- वित्तीय संस्था, **(एफआई)** पात्र पीए के साथ एसएमपी, व्हाइट बटर, डब्ल्यूएमपी, घी आदि वस्तुओं के स्टॉक की निगरानी भी करेगी।
- कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) योजना के कार्यान्वयन, समन्वय, प्रारंभिक जांच और डेस्क निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी।

• आईए संबंधित वित्तीय संस्था/पीए से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर डीएएचडी को त्रैमासिक निधि उपयोग रिपोर्ट (एफयूआर) प्रस्तुत करेगी और योजना की प्रगति संबंधी ऐसी जानकारी भी प्रदान करेगी।

*****

संजय कुमार/SANJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली/Krishi Bhawan, New Delhi-110001

आवेदन पत्र का प्रारूप

केंद्रीय क्षेत्र की योजना – "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन"

दिनांक__/___/___

1	**भाग लेने वाली एजेंसी (पीए) का मूल विवरण**	
	भाग लेने वाली एजेंसी का नाम (पीए)	
	सीईओ/ एमडी/ जीएम (पदनाम सहित नाम):	
	पता	
	संपर्क विवरण (टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी)	
2	**वित्तीय संस्थान (एफआई) का मूल विवरण**	
	वित्तीय संस्था का नाम	
	शाखा का नाम और पता	
	शाखा प्रबंधक का नाम	
	संपर्क विवरण (टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी)	

3	**योजना के तहत ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए प्रतिभागी एजेंसी (पीए) की पात्रता**	
	मानदंड	घोषणा
क	चालू वित्तीय वर्ष (2026-27-सितंबर 2026 तक) के दौरान पीए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आरआरबी / सहकारी बैंकों / वित्तीय संस्थानों (बाद में एफआई–वित्तीय संस्थान कहा गया है) द्वारा कार्यशील पूंजी उधार (नकद ऋण सुविधा सहित) के लिए एक ऋण / सुविधा संस्वीकृत की गई है। (कृपया हाँ या ना का उल्लेख करें, ऋण संस्वीकृति अवधि का भी उल्लेख करें)	
ख	पीए को एफआई को ऋणों की चुकौती और ब्याज की चुकौती में नियमित होना चाहिए। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीए को पहले ऋण की किश्तों/ब्याज की चुकौती करनी होगी। (क्या पीए नियमित है या नहीं, पीए प्रमाणित खाता विवरण संलग्न करें)	
ग	भाग लेने वाली एजेंसी को नियमित आधार पर किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना चाहिए, और एफआई/आईए/डीएएचडी द्वारा मांगे जाने पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। (कृपया सहमत हैं या नहीं का उल्लेख करें)	
घ	पीए संरक्षित वस्तुओं की ओपनिंग, एडीशन, रिडक्शन और समापन शेष पर दिन–वार विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट और एनडीडीबी द्वारा अपेक्षित दूध प्रसंस्करण / संचालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए सहमत है (कृपया सहमत हैं या नहीं का उल्लेख करें)	
4	**दूध बिल के भुगतान का विवरण**	
	दिनांक/माह/वर्ष की स्थिति के अनुसार सोसाइटियों/किसानों को दूध बिल का बकाया भुगतान (करोड़ रुपये)	
	अंतिम दूध बिल **के** भुगतान **की** तिथि (दिन/माह/वर्ष):	
	दूध बिल भुगतान चक्र (दिनों की संख्या):	
5	**कार्यशील पूंजीगत ऋण संस्वीकृति का विवरण**	
	संस्वीकृति की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

	ऋण राशि (लाख रु.)	
	ऋण का उद्देश्य	
	प्रस्तावित सिक्योरिटी का विवरण (कृपया विवरण दें)	
	दंडात्मक ब्याज प्रभारों को छोड़कर प्रभारित ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	
	ऋण की अवधि	
	कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की तिथि	
	चुकौती चक्र (मासिक/तिमाही/वार्षिक)	
	चुकाई गई **किस्तों** की संख्या	
	एसएमपी/डब्ल्यूएमपी/व्हाइट बटर/घी के स्टॉक के बदले प्रदान किया गया कार्यशील पूंजीगत ऋण – लाख रुपये	
	स्टॉक के हाइपोथिफिकेशन या किसी अन्य माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण सुरक्षित है, कृपया निर्दिष्ट करें।	
6	**ब्याज सबवेंशन योजना सहायता**	
	ब्याज सबवेंशन योजना के लिए विचार की गई ऋण राशि	
	आवश्यक ब्याज सबवेंशन की अवधि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक अद्यतन), जो भी पहले हो।	
	योजना के तहत मांगी गई प्रस्तावित ब्याज सबवेंशन राशि (लाख रु.)	
7	**बैंक खाते का विवरण जिसमें ब्याज सबवेंशन राशि जमा की जाएगी**	
	बैंक खाता नम्बर	
	आईएफएससी कोड	

यह अनुरोध है कि कृपया केंद्रीय क्षेत्र की योजना – "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील **पूंजीगत** ी ऋण पर ब्याज सबवेंशन" के तहत हमारे आवेदन पर विचार करें और स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए पात्र ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दें। हम योजना दिशानिर्देश और उसके किसी भी संशोधन में वर्णित नियमों, निबंधन और शर्तों का पालन करेंगे।

संलग्नक:

1) **अनुबंध** और शर्तों तथा ऋण **करार** की प्रति के साथ कार्यशील **पूंजीगत** ऋण संस्वीकृति पत्र।

घोषणा:

हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत जानकारी हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। हम आगे समझते हैं कि किसी भी झूठे/गलत बयान के परिणामस्वरूप योजना के तहत ब्याज सबवेंशन राशि की अपात्र/कुल सबवेंशन राशि की अस्वीकृति/निरसन/वापसी हो सकती है और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक: एमडी/सीईओ/जीएम पीए का नाम	

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

ब्याज सबवेंशन जारी करने के लिए अनुरोध

केंद्रीय क्षेत्र योजना – "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन"

तिमाही:.... से.. **दिनांक__/ ____/__**

1	संदर्भ ब्याज सबवेंशन संस्वीकृति पत्र संख्या और तारीख		
2	भाग लेने वाली एजेंसी का नाम (पीए)		
3	वित्तीय संस्थान (एफआई) शाखा का नाम		
4	**पीए के दूध बिल के भुगतानों विवरण**		
	दिनांक/माह/वर्ष की स्थिति के अनुसार सोसाइटियों/किसानों को बकाया दूध बिल का भुगतान (करोड़ रुपये)।		
	अंतिम दूध बिल भुगतान तिथि (दिन/माह/वर्ष):		
	दूध बिल भुगतान चक्र (दिनों की संख्या):		
5	**मासिक संरक्षित कमोडिटी स्टॉक स्टेटमेंट (लाख रु.)**		
	स्टॉक मूल्यांकन तिथि (दिन/माह/वर्ष)		
	संरक्षित वस्तु		माह
	एसएमपी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
		दर (रुपये प्रति किग्रा)	
		मूल्य (लाख रु.)	
	डब्ल्यूएमपी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
		दर (रुपये प्रति किग्रा)	
		मूल्य (लाख रु.)	
	डब्ल्यूबी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
		दर (रुपये प्रति किग्रा)	
		मूल्य (लाख रु.)	
	घी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
		दर (रुपये प्रति किग्रा)	
		मूल्य (लाख रु.)	
	कुल मूल्य (लाख रु.)		
6	**ऋण चुकौती विवरण**		
	स्टॉक मूल्य के बदले पीए को दी गई आहरण शक्ति सीमा (लाख रुपये)		
	पीए द्वारा ली गई सीमा (लाख रु.)– ओपनिंग		
	महीने के दौरान निकासी (लाख रुपये)		
	महीने के लिए देय ब्याज राशि		
	महीने के दौरान चुकौती (लाख रु.)	मूलधन	
		ब्याज (दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्कों को छोड़कर)	
		कुल	
	महीने के दौरान चुकाया गया ब्याज		
	बकाया ऋण (लाख रु.)–**क्लोजिंग**		
	योजना के अंतर्गत पात्र ऋण की बकाया राशि (लाख रु.)		
	पात्र ब्याज सबवेंशन (लाख रु.)		
7	**योजना के तहत मांगी गई प्रस्तावित ब्याज सबवेंशन राशि (लाख रु.)**		000

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत – "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन" के तहत महीने के लिए पात्र ब्याज सबवेंशन राशि जारी करें (______ से______)। प्रमाणित किया जाता है कि माह तक देय ब्याज की अदायगी पहले ही की जा चुकी है। **घोषणाः** हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। हम आगे समझते हैं कि किसी भी झूठे/गलत बयान के परिणामस्वरूप योजना के तहत ब्याज सबवेंशन राशि की अपात्र राशि की अस्वीकृति /निरसन/वापसी हो सकती है और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।	
आवेदकः एमडी/सीईओ/जीएम पीए का नामः	द्वारा अनुशंसित शाखा प्रबंधक बैंक का नाम और पता

संजय कुमार / SANJAY KUMAR
अवर सचिव / Under Secretary
भारत सरकार / Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन औरं डेयरी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
Department of Animal Husbandry and Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली / Krishi Bhawan, New Delhi-110001